श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : U01100UP2016PTC082671
पंजीकृत कार्यालय: गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाईं ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001
Ph:+917991402222; ईमेल: Info@shwetdharamilk.com,वेबसाइट:www.shwetdharamilk.com

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की 9वीं वार्षिक आम सभा वर्ष 2024 के सितंबर माह की 21वीं तिथि को झुंझुनवाला कॉलेज, प्रयागराज रोड, अयोध्या-224001 में दोपहर 12:30 बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए की जाएगी :

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि के बैलेंस शीट और कंपनी के लाभ और हानि खाते के साथ उपलब्ध और आवश्यक नोट, निदेशकों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने एवं उसे अपनाने और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करने के लिए:

   "यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके अनुलग्नित नोट, शीड्यूल और निदेशकों और कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार और अनुमोदित किया जाता है।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -

   "संकल्प किया गया कि निदेशक 31 मार्च 2024, को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से रुपए 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 432507 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 34,60,048/- राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है, इस राशि का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

3. श्रीमती किरण यादव (डीआईएन 09304346) ("क्लास - ए " का प्रतिनिधित्व) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाएं:-

   "यह संकल्प लिया कि श्रीमती किरण यादव (डीआईएन 09304346) जो कंपनी के सदस्यों के "क्लास - ए " का प्रतिनिधित्व करते हुए इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें अनुच्छेद 9.6 और अनुच्छेद के अन्य प्रासंगिक लेखों के संदर्भ में निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधान, यदि कोई हों (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के साथ), जिनके कार्यालय की अवधि सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी रोटेशन से।

4. श्रीमती हंसा मिश्रा (डीआईएन 09304322) ("क्लास - ए" का प्रतिनिधित्व) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाएं: -

   "यह संकल्प लिया कि श्रीमती हंसा मिश्रा (डीआईएन 09304322), जो कंपनी के सदस्यों के "क्लास - सी" का प्रतिनिधित्व करते हुए इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 (iii) के संदर्भ में, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं

और उनके स्थान पर श्रीमती सविता मौर्य (डीआईएन 10283941) कंपनी के सदस्यों के "क्लास-ए" का प्रतिनिधित्व करने वाली को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधान, यदि कोई हों (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के साथ), जिनके कार्यालय की अवधि सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी रोटेशन से।

5. श्रीमती अनीता देवी (डीआईएन 10762985) (कंपनी में "क्लास - बी" का प्रतिनिधित्व करती हैं) निदेशक के रूप में नियुक्ति करना और इस सम्बन्ध में एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

"यह संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1A के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती अनीता देवी (डीआईएन 10762985) कंपनी के सदस्यों के "क्लास - बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

6. श्रीमती सुशीला देवी (डीआईएन 10762989) (कंपनी में "क्लास - बी" का प्रतिनिधित्व करती हैं) निदेशक के रूप में नियुक्ति करना और इस सम्बन्ध में एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

"यह संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1A के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सुशीला देवी (डीआईएन 10762989) कंपनी के सदस्यों के "क्लास - बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

7. मिस प्रीति (डीआईएन 10762992) (कंपनी में "क्लास – सी" का प्रतिनिधित्व करती हैं) निदेशक के रूप में नियुक्ति करना और इस सम्बन्ध में एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:-

"यह संकल्प लिया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1A के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, मिस प्रीति (डीआईएन 10762992) कंपनी के सदस्यों के "क्लास - सी" का प्रतिनिधित्व करने वाली को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

8. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना।

"यह संकल्प लिया गया है कि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

9. **सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("एनडीएस") के साथ विचार और अनुमोदन करने के लिए**

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो बिना संशोधन के या संशोधन के साथ, निम्नलिखित प्रस्ताव एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

" यह संकल्प लिया कि कंपनी के ज्ञापन और कंपनी के लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों सहित अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (जिसमें अधिनियम के किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः-प्रवर्तन भी शामिल हैं, जो उस समय लागू हों), के तहत कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने के लिए और सेकंडमेंट व्यवस्थाओं से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन की पुष्टि के लिए और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए लेनदेन/ अनुबंध/ व्यवस्था/ समझौते में प्रवेश करने और/या जारी रखने के लिए प्रदान की जाती है।

आगे यह संकल्प लिया कि इस व्यवस्था/समझौते को कंपनी द्वारा समाप्त करने के लिए सामान्य सभा में सदस्यों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

आगे यह संकल्प लिया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक समझौते/ अनुबंध पर हस्ताक्षर/ निष्पादन के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य, कार्य और चीजें करें।"

10. **एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति को विचार और अनुमोदन करने के लिए**

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त हो, तो बिना संशोधन के या संशोधन के साथ, निम्नलिखित प्रस्ताव एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

" यह संकल्प लिया कि कंपनी के ज्ञापन और कंपनी के लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों सहित अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (जिसमें अधिनियम के किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः-प्रवर्तन भी शामिल हैं, जो उस समय लागू हों), के तहत कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ दिनांक 14 मई, 2024 के आपूर्ति समझौते के लिए और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ दूध की आपूर्ति के लिए लेनदेन/ अनुबंध/ व्यवस्था/ समझौते सहित किसी भी संशोधन, संशोधन और विस्तार के लिए दी जाती है;

यह संकल्प लिया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक समझौते/ अनुबंध पर हस्ताक्षर/ निष्पादन के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य, कार्य और चीजें करें।"

निदेशक मंडल के आदेश से

रोहित कुमार

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

DIN: 010449271

स्थानः अयोध्या

दिनांक: 31.08.2024

नोट्स

1. वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्य के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखित विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।

2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि आम सभा मे भाग लेने के लिए विधिवत भरे हुए उपस्थिती पर्ची साथ लेकर आवें।

3. संबंधित सूचना में संदर्भित दस्तावेज, सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 से 16:00 बजे) के दौरान, शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

4. खाते या कंपनी के संचालन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले क्वेरी अग्रेषित करें.

5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलिओ नंबर और सदस्य कोड को उनके सभी पत्राचार में उद्धृत करें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने पते और बैंक खाता विवरण में यदि कोई परिवर्तन हो तो तत्काल सूचित करें ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में योग्यता का विवरण

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती किरण यादव	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती अनीता यादव	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती सुशीला	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती हंसा मिश्रा	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती प्रीति	पशुपालन	स्नातक

निदेशक मंडल के आदेश से

रोहित कुमार

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

DIN: 010449271

स्थान: अयोध्या

दिनांक: 31.08.2022

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची संख्या 05

श्रीमती अनिता देवी को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती अनिता देवी की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 5 द्वारा सिफारिश करता है

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती अनिता देवी, खुद को छोड़कर, और कोई भी इस किसी भी तरह से, संकल्प में हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 06

श्रीमती सुशीला देवी को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती सुशीला देवी की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 6 द्वारा सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, श्रीमती सुशीला देवी, खुद को छोड़कर और कोई भी इस किसी भी तरह से संकल्प में हितबद्ध या सम्बन्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 07

श्रीमती मिस प्रीति को कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की तारीख से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

बोर्ड का यह विचार है कि निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्रीमती मिस प्रीति की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए कहा जाता है और संकल्प नंबर 7 द्वारा सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / अधिकारी या उनके रिश्तेदार, मिस प्रीति खुद को छोड़कर और कोई भी इस किसी भी तरह से संकल्प में हितबद्ध या सम्बन्ध नहीं हैं। बोर्ड इस संकल्प के साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

कार्यसूची संख्या. 09

कंपनी को उसकी स्थापना के समय से ही एनडीएस (NDDB Dairy Services) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसमें डेयरी क्षेत्र में उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रकार की सेवाएं शामिल थीं। एनडीएस ने कंपनी के निदेशकों को शासन, संस्थान निर्माण, वित्तीय और परिचालन मामलों पर शिक्षित करने में मदद

की। भारत में डेयरी उद्योग में तेजी से बदलते व्यावसायिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कंपनी को एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ("सीई") की आवश्यकता है, जिसे कंपनी की वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को संभालने का अनुभव हो। किसान-स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्ट-अप के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करने के इच्छुक प्रतिभाशाली पेशेवरों का चयन करने के लिए, कंपनी ने एनडीएस के साथ एक व्यवस्था की है, जिसके तहत एनडीएस अपने एक कर्मचारी को कंपनी के सीई के रूप में बोर्ड द्वारा नियुक्ति के लिए भेजेगा। इससे कंपनी के मामलों को प्रबंधित करने के लिए सीई की नियुक्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। बोर्ड ने अपनी 46वीं बैठक में, जो 27.12.2023 को आयोजित की गई थी, एनडीएस के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था में प्रवेश करने की स्वीकृति दी थी और अध्यक्ष को सेकंडमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया था।

एनडीएस के साथ सेकंडमेंट समझौते की एक प्रमुख शर्त यह है कि इस व्यवस्था को कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. **संबंधित पक्ष:** एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, जो एक गैर-लाभकारी कंपनी है और नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत है, और श्वेतधारा एमपीसी।

2. **समझौता प्रभावी होगा** इसके निष्पादन की तारीख से और यह कंपनी के सदस्यों द्वारा आम बैठक में स्वीकृति के अधीन होगा।

3. **कंपनी का पूर्ण नियंत्रण होगा** और सीई के कार्य की निगरानी कंपनी करेगी और सीई अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के कार्य नियमों और नीतियों का पालन करेगा।

4. **एनडीएस द्वारा प्रदान की गई सीई की सेवाओं के बदले**, कंपनी एनडीएस को सीई को दिए गए वेतन और अन्य कर्मचारी से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए शुल्क का भुगतान करेगी।

5. **इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार** किसी भी पक्ष को हो सकता है, इसके लिए लिखित सूचना देना आवश्यक है। हालांकि, यदि एमपीसी इस समझौते को समाप्त करना चाहता है, तो उसे आम बैठक में कंपनी के सदस्यों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

6. **कंपनी एनडीएस को मुआवजा देगी** किसी भी दावे या नुकसान के खिलाफ जो असाइनी के कार्यों के दौरान सेकंडमेंट के दौरान उत्पन्न होते हैं।

समझौते की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल बाईं ओर, प्रयागराज रोड, अवध विश्वविद्यालय के पास, फैजाबाद, अयोध्या-224001 में आम बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कार्यसूची संख्या. 10

श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को 25.04.2016 को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के भाग IX-A के तहत एक उत्पादक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

कंपनी का उद्देश्य मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के दूध और दूध उत्पादों के संग्रह, खरीद, प्रसंस्करण के व्यवसाय में शामिल होना, इनका विपणन करना और उनसे संबंधित या उनसे सहायक किसी भी गतिविधि से जुड़े कार्यों को करना है।

कंपनी द्वारा मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लिमिटेड को दूध की आपूर्ति की जा रही थी। कंपनी के संचालन के बाद से ही एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मदर डेयरी के साथ दूध आपूर्ति समझौता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

अप्रैल 2024 से, कंपनी ने दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. प्रमुख खिलाड़ियों के साथ तुलना करते हुए उत्पादक को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
2. गुणवत्ता और संस्थागत मानकों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन।
3. समय पर भुगतान।
4. निर्धारित मात्रा की खरीद की प्रतिबद्धता।
5. पूरे वर्ष बाजार की पहुंच।
6. आपसी सहमति से तय किए गए ओवरहेड्स और मार्जिन।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 29.04.2024 को दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ समझौते में प्रवेश करने की स्वीकृति दी थी। तदनुसार, कंपनी ने 14 मई, 2024 को एनडीएस के साथ दूध आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। कंपनी ने 7 अप्रैल, 2024 से एनडीएस को प्रतिदिन दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है।

सदस्यों की स्वीकृति साथ में दिए गए नोटिस के कार्य सूची संख्या 10 में निर्धारित साधारण संकल्प के रूप में मांगी जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अयोध्या

दिनांक: 31.08.2024

रोहित कुमार

मुख्य कार्यकारी और निदेशक

DIN: 010449271